# घरेलू हिंसा पीड़िताओं के लिए 10वीं पास महिलाएं चला रही हैं नारी अदालत, हर साल सुलझाती हैं 85% मामले

## छोटे कस्बों में चल रहीं अदालतें 600 से ज्यादा महिलाओं को दिला चुकी हैं इंसाफ

ननु जोगिंदर सिंह | धर्मशाला

**10वीं-12वीं** तक पढ़ीं तृप्ता, सीमा व रवीना को भी अपने जीवन में घरेलू हिंसा व प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था लेकिन इन्होंने इसे कभी अपनी नियति नहीं बनने दिया। विरोध किया। जीत हासिल की। ये यहीं नहीं रुकीं। संघर्ष जारी रखा। तीनों अब घरेलू हिंसा पीड़िताओं को इंसाफ दिलाती हैं।

हिमाचल के छोटे से कस्बे रक्कड़, थुरल, चंबा, शाहपुर व लंज में नारी अदालतें चलती हैं। हाल में एक अदालत सिरमौर में भी शुरू हुई। इनमें से दो अदालतें ये तीनों महिलाएं ही चलाती हैं। तृप्ता व सीमा रक्कड़ जबकि रवीना शाहपुर की नारी अदालत में आने वाले मामलों की सुनवाई करती हैं। इन अदालतों की कार्यशैली और काउंसलिंग से प्रभावित होकर अब वहां की पुलिस भी ऐसे केस नारी अदालत में भेजने लगी है। तृप्ता बताती हैं कि हर साल घरेलू हिंसा के करीब 100 मामले नारी अदालत में आते हैं। इनमें 85 फीसदी मामले यहीं सुलझा लिए जाते हैं। वे अपने बीते दिन याद करते हुए बताती हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों ने हमारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया था। मैंने विरोध किया तो जेठ ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं थाने जा पहुंची। शिकायत की और उसी दिन फैसला कराने पर अड़ गई।

सुनवाई करतीं तृप्ता, सीमा के साथ पिंकी (दाएं)।

पुलिस की मदद से मुझे न्याय मिल गया। सीमा कहती हैं कि 12वीं के बाद भी पढ़ना चाहती थी लेकिन शादी कर दी गई। ससुराल पहुंची तो सास-ससुर की प्रताड़ना झेलनी पड़ी हालांकि पति ने मेरा हमेशा साथ दिया।

शेष | पेज 10 पर